



SWARAJ SUITING LIMITED
WEAVING THE FUTURE

Date: 09.08.2026

To,
The Manager
Listing & Compliance Department,
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1,
G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra,
Mumbai- 400051.

Company Symbol: **SWARAJ**

ISIN: **INE0GMR01016**

Dear Sirs,

Sub: Newspaper clippings of Unaudited Financial Results for the quarter ended on June 30, 2026 of the Company, published on Aug. 09, 2026

Dear Sir/Madam,

The newspaper clippings of the advertisement on the captioned subject published on Aug. 09, 2026 in the newspapers viz. Financial Express (English) and Nafa Nuksaan (Hindi) are enclosed for information and records.

Thanking You,

Yours faithfully,
For Swaraj Suiting Limited

Rahul Kumar Verma
Company Secretary &
Compliance Officer

Encl.-As above

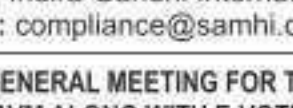


Corporate Office - F- 483 to F-487,
RIICO Growth Center, Hamirgarh,
Bhilwara, RJ 311001

+91 88750 16161
Tel- +91 97820 32618
+91 94134 85033



CIN- L18101RJ2003PLC018359
E-mail- Info@swarajsuiting.com
Website- www.swarajsuiting.com



SAMHI HOTELS LIMITED

CIN: L55101DL2010PLC211816

Registered & Corporate Office: 05th Floor, Unit No. Office - 11, Worldmark 4, Asset Area No. LP-1B-04, Gateway District, Delhi Aerocity, Near Indira Gandhi International Airport, New Delhi - 110037, India
Website: www.samhi.co.in; **Email:** compliance@samhi.co.in; **Telephone:** +91-11- 49077700

NOTICE OF 16th (SIXTEENTH) ANNUAL GENERAL MEETING FOR THE FINANCIAL YEAR 2025-26 TO BE HELD THROUGH VC/ OAVM ALONG WITH E-VOTING INSTRUCTIONS

Notice is hereby given that 16th (Sixteenth) Annual General Meeting ("AGM") for the financial year 2025-26 of the members of SAMHI Hotels Limited ("Company") is scheduled to be held on **Monday, 31st August 2026 at 02:00 p.m. (IST)**, through Video Conferencing ("VC") Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business(es) as set out in the Notice of the AGM ("AGM Notice"). The Company's Registered & Corporate Office situated at 05th Floor, Unit No. Office - 11, Worldmark 4, Asset Area No. LP-1B-04, Gateway District, Delhi Aerocity, Near Indira Gandhi International Airport, New Delhi - 110037, India, shall be deemed to be the venue for the AGM.

In compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") read with rules made thereunder and General Circular No. 20/2020 dated 05th May 2020, followed by General Circular No. 02/2021 dated 13th January 2021, General Circular No. 19/2021 dated 08th December 2021, General Circular No. 21/2021 dated 14th December 2021, followed by General Circular No. 02/2022 dated 05th May 2022, General Circular No. 10/2022 dated 28th December 2022, followed by General Circular No. 09/2023 dated 25th September 2023, followed by General Circular No. 09/2024 dated 19th September 2024, followed by General Circular No. 03/2025 dated 22nd September 2025 and any other applicable circular(s) as may be issued in this regard by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India ("MCA") (hereinafter collectively referred to as "**MCA Circulars**") read with the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**") Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated 03rd October 2024 and any other applicable circular(s) issued in this connection by the SEBI, the Company has e-mailed the electronic copies of 16th (Sixteenth) AGM Notice along with e-Voting instructions and the Integrated Annual Report including the Audited Financial Statements for the financial year (FY) 2025-26 to all the members of the Company, whose names appear in the Register of Members/ Beneficial Owners maintained by the depositories on 31st July 2026 and whose email address(es) are registered with the Company or Registrar and Share Transfer Agent ("**RTA**") or their respective Depository Participant(s) ("**DPs**"). The e-mailing of all the Notices has been completed on 07th August 2026.

Additionally, in accordance with Regulation 36(1)(b) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time ("**SEBI Listing Regulations**"), the Company is also sending a letter to shareholders, whose e-mail IDs are not registered with Company/RTA/DP, providing the weblink of Company's website from where the Integrated Annual Report for FY 2025-26 can be accessed.

The aforesaid documents are also made available on the Company's website at <https://samhi.co.in> and on the website of the stock exchange(s), i.e. BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at <https://www.bseindia.com> and <https://www.nseindia.com> respectively and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL" e-Voting agency) at www.evoting.nsdl.com and can also be made available for inspection by writing to the Company at compliance@samhi.co.in. The document(s) pertaining to the item(s) of business(es) to be transacted in the AGM shall be available for inspection as per the procedure provided in point no. 10 of the notes to AGM Notice.

In terms of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Secretarial Standard-2 on General Meetings and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Company is providing facility of voting by electronic means and the business(es) set out in the AGM Notice, shall be transacted through such e-Voting system only. The Board has appointed Mr. Abhishek Bansal, Advocate, as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in accordance with the law and in a fair and transparent manner.

Members holding shares as on the Cut-Off date, i.e., 24th August 2026, may cast their vote electronically on business(es) as set out in the AGM Notice through such remote e-Voting. A person who has acquired shares and become a member of the Company post the Notice was sent and hold the shares as on the Cut-Off date, i.e., 24th August 2026, may obtain the USER ID and PASSWORD by sending a request at evoting@nsdl.com. However, if a person is already registered with NSDL for e-Voting then, member may use their existing USER ID and PASSWORD for casting their vote.

The remote e-Voting period is as follows:

Commencement of remote e-Voting	Thursday, 27 th August 2026 at 09:30 a.m. (IST)
Conclusion of remote e-Voting	Sunday, 30 th August 2026 at 05:00 p.m. (IST)

The remote e-Voting shall not be allowed beyond Sunday, 30th August 2026 at 05:00 p.m. (IST).

The facility of voting through electronic system shall also be made available during the meeting on the day of AGM for those members present in the AGM through VC/OAVM, who have not already cast their vote through remote e-Voting. The Members who have cast their vote(s) by remote e-Voting prior to the AGM may also attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility but shall not be entitled to cast their vote(s) on such resolution(s) again. Only persons whose names are recorded in the Register of Members/ Beneficial Owners maintained by the Depositories as on Cut-Off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-Voting system at the AGM.

In case the Members have any queries/issues/grievances regarding the remote e-Voting and AGM, they may refer to the Frequently Asked Questions ("**FAQs**") for Members and e-voting user manual for Members available in the download section at www.evoting.nsdl.com or call on 022-4886 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, National Securities Depository Ltd., 3rd Floor, Naman Chamber, Plot C-32, G-Block, Bandra Kuria Complex, Bandra East, Mumbai-400051, Maharashtra, India, at the designated email address at evoting@nsdl.com.

**By the Order of the Board,
For SAMHI Hotels Limited**

Sd/-
Mr. Sanjay Jain
Senior Director - Corporate Affairs,
Company Secretary and Compliance Officer
Membership No.: F6137

Place : New Delhi
Date : 08.08.2026

संपादकीय

रिजर्व बैंक मोद्रिक समीक्षा

ब्याज दर में बदलाव नहीं, मजबूत आर्थिक विकास के साथ मुद्रा प्रसार दर में गिरावट का संकेत

कुभाग्य

समीक्षा बैठक में ब्याज दरों में किसी प्रकार के बदलाव का निर्णय नहीं लिया है, रिजर्व बैंक ने हालाँकि आशा व्यक्त करते हुए कहा कि भारत में आर्थिक विकास की गतिशीलता निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप है और मुद्रा प्रसार दर के भी समय के साथ कमजोर पड़ने की संभावना है, हालाँकि वैश्विक राजनीतिक तनाव खाड़ी संकट के चलते तेल के मूल्य में भारी उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है, लेकिन समझौते की संभावना को देखते हुए पुनः तेल का मूल्य घटकर 80 डॉलर प्रति बैरेल के स्तर को छू गया था, जो पिछले दिनों 74-75 डॉलर तक घटने के पश्चात् हमलों के कारण बढ़कर 100 डॉलर हो गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसके साथ ही आर्थिक विकास के आकलन को तीसरी तिमाही 2026-27 के सन्दर्भ में 6.5 चौथी तिमाही के सन्दर्भ में 6.8 प्रतिशत व वर्ष 2026-27 के सन्दर्भ में बढ़ाकर 6.7 प्रतिशत करने की घोषणा की है। रिजर्व बैंक ने अपने नीतिगत निर्णय में कहा है कि ऋण पर कितनी ब्याज दर वसूली की जानी चाहिये, इस संबंध में नीतिगत निर्णय शीघ्र ही लिया जायेगा। इससे बैंकों द्वारा ऋण के सन्दर्भ में जो अलग-अलग नीति अपनाई जाती है उस पर विराम लगेगा। वित्तीय कम्पनियां फाइनेंस फाइनेन्स कम्पनियां बैंक, स्मॉल फाइनेन्स बैंक इसी नीति का अनुसरण करते हुए ऋण पर ब्याज का निर्धारण करेंगे। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मलहोत्रा ने कहा कि वर्ष 2026-27 के सन्दर्भ में बैंक 5 प्रतिशत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की संभावना व्यक्त करता है। इसी सन्दर्भ में तीसरी तिमाही के दौरान मुद्रा प्रसार दर 5.9 प्रतिशत थी। तिमाही के दौरान 5.5 प्रतिशत तथा वर्ष का औसत 5 प्रतिशत के स्तर पर रहने की संभावना है। यह रिजर्व बैंक के 4-6 प्रतिशत आकलन के दायरे में ही रहेगा। रिजर्व बैंक का सभी वित्तीय संस्थाओं के



संदर्भ में एक नियामक ब्याज दर का प्रस्ताव वित्तीय सेवा क्षेत्र में विशेष रूप से अनुशासन की शुरुआत करेगा, रिजर्व बैंक के प्रयासों से ही भारतीय बैंकिंग आयोग आज मजबूत स्तर पर देखा जा सकता है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी पूरा सहयोग मिला है और अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास की गतिशीलता के साथ नये विकास पथ पर आगे बढ़ रही है। गैर निष्पादित संपत्तियां शुद्ध स्तर पर एक प्रतिशत से नीचे देखी जा सकती है, तो बैंकों में जमाओं के साथ ऋण साख भी तेजी से सुधर रहा है। रिजर्व बैंक का नया निर्णय बैंकिंग व गैर बैंकिंग वित्तीय सेवा क्षेत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा देगा। इससे मासिक किश्त ईएमआई के भुगतान में भी अनुशासन देखने को मिलेगा और बैंकों की आर्थिक हालात और मजबूत हो जायेगी, रिजर्व बैंक की नीतिगत घोषणा के साथ ही भारतीय रुपया भी डॉलर के मुकाबले मजबूत होकर 93.11 रुपये प्रति डॉलर के स्तर को छू गया है अर्थात् उसमें 26 पैसे की मजबूती दर्ज की गई है। यह विदेशी निवेशक कम्पनियों व निवेशकों के लिए निश्चित रूप से अच्छा संदेश है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि सितम्बर माह के दौरान देश की अर्थव्यवस्था में नकद तरलता की स्थिति अवश्य बहुत मजबूत होगी सरकार के प्रयासों से जो एफसीएनआर जमाये देश को दीर्घाविधि के ऋण के रूप में प्राप्त हो रही है। उसके सन्दर्भ

में उपलब्ध तरलता का सही उचित उपयोग भी संभव होगा। अर्थात् यह बहुत अधिक नकद तरलता ज्यादा समय तक अर्थव्यवस्था में नहीं रहेगी। आर्थिक विशेषज्ञों का भी कहना है कि विदेशी मुद्रा स्वेप सुविधा के कारण देश की अर्थव्यवस्था में 4.5 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त नकद तरलता प्रवाहित होगी। इसमें एफसीएनआर जमाओं की भी अहम भूमिका होगी और रिजर्व बैंक अपने नीतिगत निर्णयों से इस नकद तरलता को बाजार से हटाने का शीघ्र ही प्रयास भी करेगा। एफसीएनआर जमाओं के माध्यम से भारत को 60 बिलियन डॉलर तक धनराशि प्राप्त हो सकती है। अब तक 40 बिलियन डॉलर प्राप्त हो रिजर्व बैंक ने अपनी नीतिगत समीक्षा के दौरान यह भी कहा है कि वह शीघ्र ही अपर लेयर एनबीएफसी की सूची भी घोषित कर सकता है और इसके अन्तर्गत एसी कम्पनियों की सूचिबद्धता आवश्यक हो जायेगी जो क्लोज़ ही हेल्ड है इनमें टाटा संस शामिल हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अरबन को-ऑपरेटिव बैंकों के सन्दर्भ में दो दशकों के पश्चात् अब पुनः लाइसेन्स देने का निर्णय लिया है इसके लिए क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसाईटी जिनकी शुद्ध सम्पत्तियां 300 करोड़ रुपये है और 10000 करोड़ रुपये की जमाओं का आधार है। ऐसी सोसाइटियां आवेदन कर सकती है। रिजर्व बैंक ने अपने वक्तव्य में संकेत दिया है कि वह मजबूत विदेशी मुद्रा आवक को देखते हुए समयवधि पूर्व ही स्वेप विन्डो को बन्द नहीं करेगा। आज विदेशी मुद्रा गैर रेजिडेंट बैंक एफसीएनआर जमाओं की व्यापक गतिशीलता देखी जा सकती है। घोषणा के पश्चात अब तक 40 बिलियन डॉलर धनराशि प्राप्त हो चुकी है। एफसीएनआर विन्डो 30 सितम्बर को स्वेप के सन्दर्भ में बाद हो रही है कि विदेशी मुद्रा वाणिज्यिक ऋण (ECB) तथा ओवरसीज विदेशी मुद्रा ऋण (OFCB) की योजना दिसम्बर तक जारी रहेगी लेकिन रिजर्व बैंक ने एफसीएनआर को बन्द नहीं करने का भी संकेत दिया है।

हेल्थ ♦ सोसायटी ♦ एज्युकेशन

समय की मांग

बेटी की है विवशता, त्यागे मां का द्वार।
छोड़ उसे जाना पड़े, बचपन का संसार।।

साभार :- शारदा-नवल झाणा

आज का विचार

अच्छे स्वास्थ्य और खराब स्मृति में ही आनन्द का वास है।
- अज्ञात

ART OF MANAGEMENT

469

मैं अपने व्याख्यान, सेमिनार और वर्कशॉप में अक्सर कहता हूँ कि भारतवर्ष में भगवान् श्रीराम से अधिक मंदिर हनुमान जी के हैं। इसका कारण यह है कि भारत की जनता हनुमान जी के अद्भुत कर्म, समर्पण, सेवा, निष्ठा और पाश्र्वकर्म की हृदय से सराहना करती है। गोस्वामी गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के प्रत्येक भाग का नाम उसके विषय के अनुसार रखा — जैसे बालकाण्ड, अयोध्याकाण्ड, किष्किन्ध्याकाण्ड आदि। लेकिन जिस काण्ड में मुख्य रूप से हनुमान जी के कार्यों का वर्णन है, उसका नाम ‘सुन्दरकाण्ड’ रखा। प्रश्न उठता है कि जब हनुमान जी शारीरिक रूप से ‘सुन्दर’ नहीं माने जाते थे, तो उसका नाम सुन्दरकाण्ड क्यों रखा गया? इसका उत्तर अत्यंत प्रेरणादायक है – हनुमान जी का स्वरूप नहीं, उनके कर्म सुन्दर थे। उनकी भक्ति, निस्वार्थ सेवा, साहस, विनम्रता और प्रभु श्रीराम के प्रति पूर्ण समर्पण ही वास्तविक सुंदरता है। अतः संदेश स्पष्ट है — व्यक्ति की पहचान उसके रूप से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। इस लेख में हम हनुमान जी के गुणों कि विस्तार से चर्चा करेंगे।

शार्पक है.... हनुमान चालीसा और आधुनिक जीवन

Management Wisdom from Hanuman Chalisa

आज का आधुनिक जीवन अभूतपूर्व चुनौतियों से भरा हुआ है। तेज प्रतिस्पर्धा, तनावपूर्ण कार्य-संस्कृति, लक्ष्य प्राप्ति का दबाव, संबंधों में दूरी नैतिक मूल्यों का ह्रास और मानसिक असंतुलन—ये सभी समस्याएँ व्यक्ति और संगठन दोनों को प्रभावित कर रही हैं। विज्ञान और तकनीक ने जीवन को सुविधाजनक अवश्य बनाया है, किंतु आंतरिक शांति, संतुलन, आत्मविश्वास और नैतिक नेतृत्व की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। ऐसे समय में भारतीय ज्ञान परंपरा हमें केवल आध्यात्मिक मार्ग ही नहीं दिखाती, बल्कि जीवन और प्रबंधन के व्यावहारिक सूत्र भी प्रदान करती है। Hanuman Chalisa इसी भारतीय चेतना का एक अनुपम उदाहरण है। सामान्यतः इसे भक्ति और श्रद्धा का ग्रंथ माना जाता है, परंतु यदि इसकी गहराई में उतरें, तो यह आधुनिक जीवन प्रबंधन, नेतृत्व विकास और आत्म-संयम का अद्भुत मार्गदर्शक बनकर

सामने आती है। Goswami Tulsidas ने हनुमान जी के चरित्र के माध्यम से ऐसे गुणों का वर्णन किया है, जो आज के किसी भी सफल नेता, प्रबंधक, शिक्षक, प्रशासक, उद्यमी या विद्यार्थी के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। हनुमान जी केवल शक्ति के प्रतीक नहीं हैं; वे ज्ञान, विनम्रता, समर्पण, संचार कौशल, निर्णय क्षमता, संकट प्रबंधन और सेवा-भाव के सर्वोच्च आदर्श हैं। आधुनिक जीवन में हनुमान चालीसा की प्रासंगिकता

1. **तनाव प्रबंधन (Stress Management)**

आज का व्यक्ति मानसिक दबाव और असुरक्षा से घिरा हुआ है। हनुमान चालीसा हमें आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास विकसित करना सिखाती है।

‘भूत पिशाच निकट नहि आवै’

यह पंक्ति केवल नकारात्मक शक्तियों की बात नहीं करती, बल्कि भय, तनाव, भ्रम और नकारात्मक सोच पर विजय प्राप्त करने का संदेश देती है।

Management Insight: Positive Thinking Emotional Stability Fear Management आधुनिक कॉर्पोरेट जगत में वही व्यक्ति सफल होता है, जो दबाव में भी संतुलित निर्णय ले सके।

2. **नेतृत्व विकास (Leadership Development)**

‘राम दूत अतुलित बल धामा’

हनुमान जी स्वयं को कभी केंद्र में नहीं रखते; वे अपने मिशन और उद्देश्य को सर्वोपरि मानते हैं। यही एक महान लीडर की पहचान है।

आधुनिक प्रबंधन सिद्धांत Mission-Oriented Leadership Responsibility with Humility Service Before Self

आज के सफल संगठन उन्हीं नेताओं के कारण आगे बढ़ते हैं, जो स्वयं की

प्रसिद्धि से अधिक संगठन के उद्देश्य को महत्व देते हैं।

3. **टीम भावना और सहयोग (Teamwork & Collaboration)**

हनुमान जी ने अकेले महान कार्य अवश्य किए, किंतु वे सदैव टीम और उद्देश्य के प्रति समर्पित रहे। लंका की खोज से लेकर संजीवनी लाने तक उन्होंने हर कार्य सामूहिक उद्देश्य के लिए किया।

आधुनिक जीवन संदेश

Team Alignment Collaboration Trust Building

किसी भी संस्था की सफलता केवल व्यक्तिगत प्रतिभा से नहीं, बल्कि सामूहिक सहयोग से संभव होती है।

मृतक की दुर्घटना में मृत्यु के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद, अपील खारिज

केस नं. 2025 (1) TAC 532 (AP) अपील 1379 वर्ष 2017

आन्ध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रविनाथ तिलहरी एवं न्यायपक्षी विजय की खण्डपीठ के समक्ष मोटर वाहन कानून 1988 की धारा 173 के अन्तर्गत न्यू इन्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम सिरिपुरा उमा व अन्य सम्बन्धित प्रकरण में वाहन दुर्घटना, क्षतिपूर्ति के आदेश के विरुद्ध विचारार्थ प्रस्तुत की गई।

इस प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि सिरिपुरा उमा सुरेश की पत्नी व मां ने यह क्लेम दावा सुरेश की मृत्यु के पश्चात् दायर किया है और 31 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति की मांग की गई। सुरेश भारतीय सेना में कार्यरत था, उसकी आय 20000 रुपये प्रतिमाह थी उसकी आयु 25 वर्ष थी मृतक बस में से उतरा था और वह कोट्टम से कोट्टाम्मा पैदल जा रहा था। उसी समय दोपहर दो बजे एक ऑटो रिक्शा ने लापरवाही के साथ परिचालित किये जाने के कारण सुरेश को उसी दिशा में आते हुए टक्कर मार दी इसके परिणाम सुरेश को गम्भीर चोटें आई उसको कम्युनिटी हेल्थ सेन्टर में भर्ती किया गया, शरीर में से अनेक स्थानों पर खून निकल रहा था, उसके पश्चात् इस प्रकरण में प्रतिवादी संख्या एक ऑटो रिक्शा का परिचालन कर रहा था, उस ऑटो का मालिक प्रतिवादी संख्या 2 है और प्रतिवादी संख्या 3 बीमा कम्पनी के पास बीमित था।

प्रतिवादी संख्या 2 ने अपना पक्ष क्लेम ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत किया। उसने दुर्घटना से इन्कार किया और परिचालक के स्तर पर लापरवाही से भी इन्कार किया। जबकि प्रतिवादी संख्या 3 बीमा कम्पनी ने भी क्लेम को अनुचित बताया। क्लेमन्ट की ओर से पीडब्ल्यू-1 तथा पीडब्ल्यू-5 से पूछताछ साक्ष्य के रूप में की गई। Exs A-1-A6 प्रतिवादी की ओर से उपस्थित हुए Rw-1 से भी पूछताछ की गई तथा Exb- 1 पॉलिसी की जांच की गई।

सभी पक्षों के दावों व विचारों पर ध्यान देते हुए ट्रिब्यूनल ने आदेश में कहा कि यह दुर्घटना लापरवाही के साथ ऑटो रिक्शा के परिचालन के कारण कारित हुई है। क्षतिपूर्ति के सन्दर्भ में ट्रिब्यूनल ने 15000 रुपये मासिक आय स्वीकार करते हुए 18 के मल्टीप्लायर के

सन्दर्भ में RW-1 ने कहा कि उन्होंने एक जांच अधिकारी की नियुक्ति की है, लेकिन इस जांच अधिकारी की रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष दायर नहीं किया गया है। बीमा कम्पनी ने रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने का कोई कारण भी नहीं बताया है। न्यायालय ने कहा कि इससे यह स्पष्ट होता है कि बीमा कम्पनी ने जान बूझकर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है तथा बीमा कम्पनी ने जो स्टैण्ड न्यायालय के समक्ष लिया है। सम्भव रिपोर्ट में उसके विपरीत जानकारी दी गई है। एक अन्य कारण यह भी बताया गया कि मृतक दुर्घटना के पश्चात् बहुत दिनों तक जीवित रहा था, लेकिन उसने ऑटो रिक्शा का दुर्घटना के सन्दर्भ में कोई उल्लेख नहीं किया है। न्यायालय ने कहा कि मृतक जो दुर्घटना के बाद से ही ट्रेमा में था, उससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है। परिवार के सदस्यों को भी तत्काल उसको संभालने काही कार्य करना पड़ा था। पीडब्ल्यू-2 तथा पीडब्ल्यू-4 के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी यह स्पष्ट होता है। चार्जशीट Exa-2 तथा पीडब्ल्यू-5 की साक्ष्य ने भी यह स्पष्ट होता है कि बीमा कम्पनी ने जान बूझकर जांच अधिकारी की रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की थी। ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि ऑटो रिक्शा की टक्कर से ही यह दुर्घटना कारित हुई है। जिसका परिचालन प्रतिवादी संख्या एक के द्वारा किया गया था, ऐसे हालात में ट्रिब्यूनल के आकलन को उचित ही माना जाना चाहिये। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने कहा कि वह ट्रिब्यूनल के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप के पक्ष में नहीं है बीमा कम्पनी की अपील को खारिज किया गया।

सूचना

इस पृष्ठ पर प्रकाशित सभी न्याय निर्णय मूल निर्णयों की नकल नहीं हैं। यह निर्णय मूल निर्णय को पढ़कर पाठकों के हित में प्रकाशित किये गये हैं। आवश्यकता पड़ने पर मूल निर्णय को अवश्य देखें।

—संपादक

BEST ASTROLOGY SERVICES

- MONEY PROBLEMS
- LOVE & MARRIAGE
- EDUCATION
- HEALTHY PROBLEMS
- CHILDREN PROBLEMS
- FAMILY MATTERS
- DEPRESSION
- & MANY MORE PROBLEMS

Best Astrologer

PT. SHRINIWAS GURUJI

GET SOLUTION OF YOUR PROBLEM IN 10 DAYS

Call: +91 98331 98334

ASTROLOGY & YOU!

Your horoscope is a blueprint of your life. Your Date & time of birth hold the secret to your behavioural patterns, talents, life events & luck factor.

ANIL KUMAR (B.Sc., M.B.A.)

Entrepreneurship Development Project Director, Government of India

Call: +91 99794 20952 (Mumbai)

Mail: anil.kumar@anilastrology.com

Sri Hanuman Astrologer Centre

Pandit: Sri Ram Shastri

World Famous Astrologer

Most Powerful Astrologer in India

ALL RELIGIOUS

- Astrology
- Vedic Astrology
- Palm Reading
- Numerology
- Tarot Reading
- Feng Shui
- Past, Present & Future
- Relationship & Love
- Career & Finance
- Health & Wealth
- Children's Future
- Marriage & Divorce
- Gemstones & Mantra
- Astrology & Health
- Astrology & Business
- Astrology & Education
- Astrology & Travel
- Astrology & Luck
- Astrology & Success
- Astrology & Power
- Astrology & Fame
- Astrology & Wealth
- Astrology & Prosperity
- Astrology & Happiness
- Astrology & Well-being
- Astrology & Longevity
- Astrology & Good Luck
- Astrology & Good Fortune
- Astrology & Good Karma
- Astrology & Good Deeds
- Astrology & Good Thoughts
- Astrology & Good Actions
- Astrology & Good Words
- Astrology & Good Intentions
- Astrology & Good Vibes
- Astrology & Good Energy
- Astrology & Good Spirit
- Astrology & Good Soul
- Astrology & Good Heart
- Astrology & Good Mind
- Astrology & Good Body
- Astrology & Good Life
- Astrology & Good Death
- Astrology & Good Rebirth
- Astrology & Good Karma
- Astrology & Good Deeds
- Astrology & Good Thoughts
- Astrology & Good Actions
- Astrology & Good Words
- Astrology & Good Intentions
- Astrology & Good Vibes
- Astrology & Good Energy
- Astrology & Good Spirit
- Astrology & Good Soul
- Astrology & Good Heart
- Astrology & Good Mind
- Astrology & Good Body
- Astrology & Good Life
- Astrology & Good Death
- Astrology & Good Rebirth

नफा नुकसान

संपादकीय

स्वत्वाधिकारी कुशाग्र पब्लिकेशन्स प्रा. लि. के लिए मुद्रक व प्रकाशक जितेन्द्र कोठारी द्वारा 52-53, कल्याण कॉलोनी, मालवीया नगर, जयपुर-17 (रजि. ऑफिस) एवं 204, गौरव टॉवर मालवीया नगर, जयपुर-17 (कार्यालय) से प्रकाशित एवं कुशाग्र पब्लिकेशन्स प्रा. लिमिटेड, एसपीएल-4(ए.), सीतापुरा इण्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर से मुद्रित।

सम्पादक: वैभव कोठारी (पीआरवी एक्ट के तहत खबरों के चयन के लिए उत्तरदायी)

फोन: 0141-4011152 0141-3518087 ई-मेल : info@nafanuksan.com

नफा नुकसान में प्रकाशित हर प्रकार के कंटेंट के जरिए पाठकों को कारोबारी जगत में हो रहे घटनाक्रमों की जानकारी, विश्लेषण, सूचनाएं आदि देने का प्रयास रहता है। इनमें से कई बार ऐसे से कंटेंट का प्रकाशन भी हो सकता है जो नफा नुकसान के पास उपलब्ध जानकारी से मेल नहीं खाता हो व अलग हो। इसलिए नफा नुकसान में प्रकाशित कंटेंट के आधार पर अगर कोई कैसा भी निर्णय करता है तो उसकी जिम्मेदारी नफा नुकसान नहीं लेता है। पाठक स्वयं अपने विवेक से ही निर्णय करें ऐसी अपेक्षा की जाती है। नफा नुकसान में जिन विज्ञापनों का प्रकाशन किया जाता है उनके बारे में यह स्पष्ट किया जाता है कि नफा नुकसान का किसी भी विज्ञापनदाता से विज्ञापन के अलावा अन्य कोई सरोकार नहीं है और न ही विज्ञापनों में दर्शाई सामग्री का कोई समर्थन नफा नुकसान द्वारा किया जाता है। विज्ञापनों से संबंधित किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण व दावे के लिए विज्ञापनदाता ही जिम्मेदार होगा। नफा नुकसान में प्रकाशित कंटेंट लेखकों, न्यूज एजेंसी व संपादकीय विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं जिनपर पूरी तरह से नफा नुकसान का सर्वाधिकार है। नफा नुकसान में प्रकाशित किसी भी तरह के कंटेंट का किसी भी व्यक्ति, संस्थान या अन्य द्वारा बिना नफा नुकसान की लिखित अनुमति के प्रकाशन व प्रसारण किया जाना गैर-कानूनी होगा।

SWARAJ SUITING LIMITED

CIN: L18101RJ2003PLC018359

F-483 to F-487, RIICO Growth Centre, Hamirgarh, Bhiwara-311025(Rajasthan); Website: www.swarajsuiting.com; Email ID: cs@swarajsuiting.com; Ph: 9660630663

30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सेबी सूचीबद्धता विनियम") के विनियम 33 तथा 47 के अनुपालन में, स्वराज सुटिंग लिमिटेड ("कंपनी") के निदेशक मंडल ने शुक्रवार, 07 अगस्त, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में, 30 जून, 2026 को समाप्त हुई तिमाही के लिए कंपनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों (एकल एवं समेकित) ("वित्तीय परिणाम") पर विचार किया और उन्हें अनुमोदित किया।

उक्त वित्तीय परिणाम तथा सीमित समीक्षा रिपोर्ट (एकल और समेकित), स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट्स https://www.nseindia.com और कंपनी की वेबसाइट https://www.swarajsuiting.com/financial पर भी उपलब्ध हैं।

संगत उपकरणों से त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड स्कैन करके इन्हें देखा जा सकता है:

कृते तथा निदेशक मंडल की ओर से स्वराज सुटिंग लिमिटेड हस्ता. /- मोहम्मद साबिर खान प्रबंध निदेशक DIN-00561917

स्थान - भीलवाड़ा दिनांक - 08 अगस्त, 2026